(30)

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(1168)नविवि/3/2010 दिनांक: 10 NOV 2010

सचिव,
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त..........................

विषयः- 90बी भू-राजस्व अधिनियम के प्रकरणों में पी.टी. सर्वे/टोटल स्टेशन सर्वे इत्यादि करवाने हेतु।

संदर्भः- दिनांक 13-14.09.2010 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण **क्रमांक प.5(16)नविवि/5/2010 दिनांक 29.09.2010 एवं समसंख्यक** आदेश दिनांक 20.10.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 13-14.09.2010 को प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 90-बी संबंधी प्रकरणों के संबंध में कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या-1 (i) के क्रम में समसंख्यक आदेश के बिन्दु संख्या 6 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि ऐसी विभिन्न कॉलोनियां जिनका सर्वे नही हुआ है उनका आगामी दो माह में पी.टी.सर्वे/टोटल स्टेशन सर्वे का कार्य नियमानुसार निविदायें आमंत्रित कर दर निर्धारण करते हुए कर लिया जावे।

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन नगर सुधार न्यास/प्राधिकरण के संबंध में ऐसे सर्वे हेतु सर्वेकर्त्ता फर्म का पैनल पूर्व से ही बना हुआ है अथवा दर निर्धारण किया जा चुका है, उनमें ऐसी फर्मो से सर्वे का कार्य करवाये जा सकेगें। इस कार्य को 31 दिसम्बर, 2010 तक पूर्ण किया जावे।

भवदीय,

(निष्काम दिवाकर)
शासन उप सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-द्वितीय

(75)